



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2009

श्रावण 22, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-7 (कल्याण निधि)

संख्या 404/सात-न्याय-7-2009-5-2008

लखनऊ, 13 अगस्त, 2009

अधिसूचना

प0आ०-536

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग-5 और उक्त संहिता की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय इलाहाबाद निम्नलिखित नियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया आनुकल्पिक विवाद समाधान नियमावली, 2009

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया आनुकल्पिक विवाद संक्षिप्त नाम और समाधान नियमावली, 2009 कही जायेगी। प्रारम्भ

(दो) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, परिभाषाएं

(क) "संहिता" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से है।

(ख) "न्यायालय" का तात्पर्य जिला न्यायालय और जिला न्यायालय की श्रेणी से एक श्रेणी निम्न प्रत्येक सिविल न्यायालय से है।

(ग) "माध्यस्थता द्वारा निपटान" का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यथास्थिति, पक्षकारों द्वारा या न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई माध्यस्थता वाद सम्बन्धी पक्षकारों के मध्य विवादों का न्याय निर्णयन करता है और माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1996) के उपबन्धों, जहाँ तक कि वे माध्यस्थता को निर्दिष्ट करते हों, को लागू करके अधिनिर्णय पारित करता है,

(घ) "सुलह द्वारा निपटान" का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यथास्थिति, पक्षकारों द्वारा या न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई सुलहकर्ता माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1996) के उपबन्धों, जहाँ तक कि वे सुलह को निर्दिष्ट करते हों, को लागू करके और विशिष्टतः उक्त अधिनियम की धारा 67 और 73 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके विवादों के निपटान हेतु प्रस्ताव द्वारा और संभव निपटान के निबन्धनों की विरचना या पुनः विरचना द्वारा विवाद सम्बन्धी पक्षकारों के मध्य सुलह कराता है और उसकी भूमिका किसी मध्यस्थ के वृहत्तर होती है,

(ङ) "मध्यस्थता द्वारा निपटान" का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यथास्थिति पक्षकारों द्वारा या न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई मध्यस्थ उत्तर प्रदेश सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 2009 के उपबन्धों को लागू करके और विशिष्टतः प्रकरणों को परिलक्षित करने में पक्षकारों की सहायता करके, गलतफहमियों को कम करके, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करके, समझौते के क्षेत्रों को पता लगाकर, विवादों के समाधान की दिशा में विकल्पों का सृजन करके और इस बात पर बल देते हुए कि ऐसे निर्णय जिससे वे प्रभावित होते हों, लेने की जिम्मेदारी स्वयं पक्षकारों की है, पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थ द्वारा एक दूसरे से विचार विमर्श को सुकर बनाकर वाद सम्बन्धी पक्षकारों के मध्य विवाद में मध्यस्थता करता है,

(च) "लोक अदालत में निपटान" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा यथा अनुध्यात लोक अदालत द्वारा किये गये निपटान से है,

(छ) "न्यायिक निपटान" का तात्पर्य ऐसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति के समक्ष समझौता द्वारा किये गये अन्तिम निपटान से है जिसको न्यायालय द्वारा वाद निर्दिष्ट किया गया हो या ऐसी संस्था या व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) के अधीन लोक अदालत समझा जाता हो और जहाँ पर ऐसे निर्देशन के पश्चात उक्त अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हों कि मानों उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विवाद को लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया था।

निपटान के अनुकालिक ढंग हेतु विकल्प अपनाने के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया

3-(1) न्यायालय, आदेश दस के नियम-1 के अधीन वाद की प्रथम सुनवाई के समय स्वीकृति और प्रत्याख्यान को अभिलिखित करने के पश्चात और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत हो कि निपटान के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को प्रतिग्रह हो सकते हैं, निपटान के निबन्धनों को बनाएगा और धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन उन्हें पक्षकारों को उनके संप्रेक्षण हेतु प्रदान करेगा और पक्षकार प्रथम सुनवाई के तीस दिन के भीतर अपने जवाब न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

(2) अगली सुनवाई पर, जो जबाब स्वीकार करने के तीस दिन के अपश्चात् होगी, न्यायालय संभव निपटान के निबंधनों को बनाएगा और पक्षकारों को आदेश-दस के नियम 1-क के साथ पठित धारा 89 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में दिये गये विनिर्देश के अनुसार न्यायालय के बाहर विवादों के निपटान के ढंग में से किसी एक ढंग हेतु विकल्प अपनाने के लिए नीचे वर्णित रीति से पक्षकारों को निर्देशित करेगा :

परन्तु यह कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालय वाद सम्बन्धी समस्त पक्षकारों की लिखित सहमति के बिना कोई विवाद, माध्यस्थता को अथवा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायिक निपटान हेतु निर्दिष्ट नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण :-** इस नियमावली के प्रयोजन के लिये शब्द "निपटान के निपटान के निबन्धन" और शब्द "संभव निपटान के निबन्धन" का तात्पर्य क्रमशः विवाद के सारांश या अवशेष विवाद के सारांश से हैं।

4-(एक) नियम 3 के प्रयोजनार्थ, भारत संघ या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, समस्त स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रम, समस्त सांविधिक निगम और समस्त लोक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को नामनिर्दिष्ट करेंगे जो ऐसे आनुकल्पिक विवाद के समाधान के ढंग के संबंध में अन्तिम विनिश्चय करने के लिए प्राधिकृत है और जिसमें वह धारा 89 के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश की स्थिति में विकल्प अपनाने का प्रस्ताव करता है और ऐसे नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ होने दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को संसूचित कर दिया जायेगा और ऐसी सरकार या प्राधिकरणों से ऐसे नाम-निर्देशन के प्राप्त होते ही उच्च न्यायालय इस निमित्त समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को अधिसूचित करेगा।

भारत संघ, राज्य सरकारों और अन्य के संबंध में विनिश्चय करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति

(दो) जहां ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपरोक्तानुसार नाम-निर्देशन नहीं किया गया है, वहां खण्ड (एक) में यथानिर्दिष्ट पक्षकार, यदि वह वादी है, तो वाद के साथ अथवा यदि वह प्रतिवादी है तो लिखित कथन को दाखिल करने के साथ या उसके पूर्व न्यायालय में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को नाम-निर्दिष्ट करते हुए जो ऐसे आनुकल्पिक विवाद समाधान के ढंग के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय करने के लिए प्राधिकृत है या हों जिसके पक्षकार न्यायालय द्वारा पक्षकार को वैकल्पिक विवाद समाधान के एक या अन्य ढंग का विकल्प अपनाने हेतु निर्देश देने की दशा में अधिमानता प्रदान करें, एक ज्ञापन दाखिल करेगा।

5-(क) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने हेतु पक्षकारों को निर्देश देने के पूर्व न्यायालय, पक्षकारों द्वारा निपटान के विशिष्ट ढंग के सम्बन्ध में अपने विकल्प का प्रयोग किये जाने के पूर्व पक्षकारों का ध्यान ऐसे सुसंगत तत्वों की ओर आकर्षित करते हुए जिन पर पक्षकारों के ध्यान में रखना होगा, पक्षकारों को ऐसा निर्देश प्रदान करेगा जिन्हें वह पक्षकारों के लिए उचित समझे, अर्थात् :-

विकल्प अपनाने हेतु निर्देश देते समय न्यायालय पक्षकारों को मार्ग दर्शन प्रदान करेगा।

(एक) यह कि जहां तक समय या व्यय का सम्बन्ध है, वाद में उत्पन्न होने वाले विवादों पर विचारण मांगने की बजाय धारा 89 में निर्दिष्ट निपटान के ढंगों में से किसी एक या अन्य ढंग हेतु विकल्प करना पक्षकारों के लिए लाभप्रद होगा :-

(दो) यह कि जहां पक्षकारों के मध्य कोई ऐसा सम्बन्ध न हो जिसे परिरक्षित रखने की आवश्यकता हो, वहां यह पक्षकारों के हित में होगा कि वे धारा 89 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में यथा अनुध्यात माध्यस्थता का मामले के संदर्भ प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

(तीन) यह कि जहां पक्षकारों के मध्य कोई ऐसा सम्बन्ध हो जिसे परिरक्षित रखने की आवश्यकता हो, वहां यह पक्षकारों के हित में होगा कि वे धारा 89 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) में यथा अनुध्यात सुलह या मध्यस्थता के मामले का संदर्भ प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

(च) जहां खण्ड (घ) के अधीन सभी पक्षकार विकल्प नहीं कर पाते हैं और सुलह या मध्यस्थता के लिये सहमत नहीं होते हैं वहां एक या उससे अधिक पक्षकार, यथास्थिति सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा चाहते हुए नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन निदेश के तीस दिन के भीतर न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं और उस स्थिति में न्यायालय अग्रतर तीस दिन की अवधि के भीतर अन्य पक्षकारों को आवेदन पत्र पर कार्यवाही के लिये नोटिस जारी करेगा, और

(एक) यदि समस्त पक्षकार सुलह के लिये सहमत हों तो न्यायालय मामले को मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट कर देगा और इसके पश्चात् मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्ध जो उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थता का संदर्भित करने के प्रक्रम के पश्चात् लागू होते हैं, लागू होंगे।

(दो) यदि सभी पक्षकार मध्यस्थता के लिये सहमत हो तो न्यायालय उत्तर प्रदेश सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स, 2009 के अनुसार मामले को मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट कर देगा।

(तीन) यदि समस्त पक्षकार सहमत न हों और जहां न्यायालय को वह प्रतीत हो कि किसी निपटान के तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार हो सकते हैं और यह कि पक्षकारों के मध्य कोई सम्बन्ध है जिससे संरक्षित किया जाना है, वहां न्यायालय मामले को यथास्थिति सुलह या मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट कर देगा। यदि विवाद को सुलह के लिये निर्दिष्ट किया जाता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्ध, जो उक्त अधिनियम के अधीन सुलह के लिये निर्दिष्ट किये जाने के प्रक्रम के पश्चात् लागू होते हैं, और यदि विवाद को मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किया जाता है तो उत्तर प्रदेश सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स, 2009 के उपबन्ध लागू होंगे।

(छ)-(एक) जहां कोई भी पक्षकार, नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन निदेश के तीस दिन के भीतर मध्यस्थता या लोक अदालत का न्यायिक निबटारे या सुलह या मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किये जाने हेतु आवेदन न करें वहां न्यायालय अग्रतर तीस दिन की अवधि के भीतर सुलह या मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किये जाने के प्रश्न पर सुनवाई के निमित्त मामले को नियम करते हुए पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को नोटिस जारी करेगा।

(दो) इस प्रकार नियम दिनांक को पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को सुनने के पश्चात् यदि निपटान के तत्व विद्यमान हों जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हों और पक्षकारों के मध्य कोई सम्बन्ध हो जिसे संरक्षित किया जाना हो तो न्यायालय, मामले को सुलह या मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट कर देगा। यदि विवाद को सुलह के लिये निर्दिष्ट किया जाता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्ध, जो उक्त अधिनियम के अधीन समझौता हेतु निर्दिष्ट किये जाने के प्रक्रम के पश्चात् लागू होते हैं और यदि विवाद को मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट किया जाता है तो उत्तर प्रदेश सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स, 2009 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ज)-(एक) न्यायालय की कार्यवाहियों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित न्यायालय की अनुमति के बिना बाद के लिए कोई निकटस्थ मित्र या संरक्षक, वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी भी शीति का न तो विकल्प देगा और न ऐसे वाद, जिसमें उसकी भूमिका मात्र मित्र या संरक्षक की हो, के संदर्भ में किसी अवयस्क या निःशक्त व्यक्ति की ओर से निपटान करेगा।

(दो) जहां किसी अवयस्क या अन्य निःशक्त व्यक्ति की ओर से वैकल्पिक विवाद समाधान संबंधी प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियों में निपटान करने की अनुमति के लिए न्यायालय में किसी काउन्सेल या प्लीडर द्वारा कोई आवेदन किया जाये वहां काउन्सेल या प्लीडर उक्त आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र दाखिल करेगा कि उसकी राय में निपटान, अवयस्क या अन्य निःशक्त व्यक्ति के हित के लिए है। निपटान पर आधारित न्यायालय की डिक्री, जिसका अवयस्क या निःशक्त व्यक्ति एक पक्षकार है, को तत्सम्बन्धी न्यायालय के अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और निपटान के निबन्धनों को निर्धारित किया जायेगा।

7-(1) जहां कोई वाद सुलह, मध्यस्थता या न्यायिक निपटान हेतु निर्दिष्ट किया गया हो और उसका निपटान न किया गया हो या जहां यह अनुभव हो कि मामले में अग्रतर कार्यवाही करना न्याय के हित में उचित नहीं है, वहां किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को उपस्थित होने के निदेश के साथ वाद को पुनःन्यायालय को वापस निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।

सुलह या न्यायिक निपटान या मध्यस्थता द्वारा विवादों का निबटारा करने के प्रयासों की विफलता पर न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना और न्यायालय के

(2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन मामले को वापस न्यायालय को निर्दिष्ट किये जाने पर न्यायालय विधि के अनुसार वाद के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

विवादों के समाधान के वैकल्पिक सिद्धान्तों में प्रशिक्षण और निर्देशिका का तैयार किया जाना

8-(क) उच्च न्यायालय ऐसे स्थानों, जहां उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या समान प्रास्थिति के न्यायालय अवस्थित हों, में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों का विधि शिक्षा देने विश्वविद्यालयों या सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों से जो उच्च न्यायालय की राय में विवाद के समाधान के आनुकल्पिक रीतियों की तकनीक में सुविधा हो, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुरोध करके कदम उठाएगा।

(ख)-(एक) उच्च न्यायालय खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए और राज्य में न्यायालयों द्वारा और साथ ही साथ मध्यस्थों या प्राधिकारी या न्यायिक निपटान के मामले में किसी व्यक्ति या सुलहकर्ताओं या मध्यस्थों द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए आनुकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया की विस्तृत निर्देशिका तैयार करने के प्रयोजन के न्यायाधीशों संकाय सदस्यों की एक समिति नाम निर्दिष्ट करेगा जिसमें आनुकल्पिक विवाद समाधान की तकनीक में विशिष्ट रूप से योग्य उपर्युक्त श्रेणियों के सेवा निवृत्त सदस्य, बार के वरिष्ठ सदस्य, बार के अन्य सदस्य भी होंगे।

(दो) उक्त निर्देशिका में आनुकल्पिक विवाद समाधान की विभिन्न रीतियों, वह तरीका, जिसमें उक्त किन्हीं रीतियों का विकल्प दिया जाये, किसी विशिष्ट प्रकार के विवाद के लिये किसी विशिष्ट प्रकार की रीति की उपयुक्तता के सम्बन्ध में वर्णन होगा और उसमें ऐसे विवादों जिनकी प्रकृति वाणिज्यिक या घरेलू हो या जो वैवाहिक, भरणपोषण और बाल अभिरक्षा सम्बन्धी मामलों से संबंधित हों, ग्रसित उपर्युक्त व्यक्तियों की भूमिका विनिर्दिष्ट रूप से व्यवहृत होगी।

(ग) उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय ऐसी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में जागरूकता लाने और न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से सम्पूर्ण राज्य या राज्यों, जिसमें उच्च न्यायालय की अधिकारिता हो, में आनुकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के विषय पर समय समय पर सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करेंगे।

(घ) ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास आनुकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं के मामले में अनुभव हो और विशेष रूप से सुलह और मध्यस्थता के सम्बन्ध में अनुभव हो, को सुलह या मध्यस्थता के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

अन्य प्रक्रियाओं की प्रयोज्यता

9-इस नियमावली के उपबंधों को, जहाँ कहीं आवश्यक हो, वैवाहिक, भरणपोषण और बाल अभिरक्षा सम्बन्धी विवादों को व्यवहृत करने के दौरान कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) के अधीन निर्मित नियमों के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) के अधीन गठित कुटुम्ब न्यायालयों सहित न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों के लिये प्रयोग किया जा सकेगा।

दिनेश गुप्ता,  
महानिबन्धक,  
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,  
सै०मजहर अब्बास आब्दी,  
प्रमुख सचिव।

No. 404/VII-Nyaya-7-2009-5/2008

Lucknow, Dated August 13, 2009.

In exercise of the rule making power conferred under Part X of the Code of Civil Procedure, 1908 and clause (d) of sub-section (2) of section 89 of the said Code, and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad makes the following Rules:

THE UTTAR PRADESH CIVIL PROCEDURE ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION RULES, 2009

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution Rules, 2009. Short Title and commencement

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires. Definition

(a) "Code" means the Code of civil procedure, 1908 as amended from time to time.

(b) "Court" means for the purpose of these Rules the District court and every Civil Court of a grade inferior to that of a District Court.

(c) "Settlement by Arbitration" means the process by which an arbitrator appointed by parties or by the Court, as the case may be adjudicates the disputes between the parties to the suit and passes an award by the application of the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act No. 26 of 1996), in so far as they refer to arbitration.

(d) "Settlement by Conciliation" means the process by which a conciliator who is appointed by parties or by the Court, as the case may be, conciliates the disputes between the parties to the suit by the application of the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act No. 26 of 1996) in so far as they relate to conciliation, and in particular in exercise of his powers under sections 67 and 73 of that Act, by making proposals for a settlement of the dispute and by formulation or reformulating the terms of a possible settlement; and has a greater role than a mediator.

(e) "Settlement by Mediation" means the process by which a mediator appointed by parties or by the Court, as the case may be, mediates the dispute between the parties to the suit by the application of the provisions of the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2009 and in particular, by facilitating discussion between parties directly or by communicating with each other through the mediator, by assisting parties in identifying issues, reducing misunderstandings, clarifying priorities, exploring areas of compromise, generating options in an attempt to solve the dispute and emphasizing that it is the parties own responsibility for making decisions which affect them.

(f) "Settlement in Lok Adalat" means settlement by Lok Adalat as contemplated by the Legal Services Authority Act, 1987.

(g) "Judicial Settlement" means a final settlement by way of compromise entered into before a suitable institution or person to which the Court has referred the dispute and which institution or person are deemed to be the Lok Adalats under the provisions of the Legal Service Authority Act, 1987 (39 of 1987) and where after such reference; the provisions of the said Act apply as if the dispute was referred to a Lok Adalat under the provisions of that Act.

3. (a) The court shall, after recording admissions and denials at the first hearing of the suit under Rule 1 of order X, and where it appears to the Court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties; formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations under sub-section (1) of Section 89, and the parties shall submit to the Court their responses within thirty days of the first hearing.

Procedure for directing parties to opt for alternative modes of settlement.

(b) At the next hearing, which shall be not later than thirty days of the receipt of responses, the Court may reformulate the term of a possible settlement and shall direct the parties to opt for one of the modes of settlement of disputes outside the Court as specified in clauses (a) to (d) of sub-section (1) of Section 89 read with Rule 1A of order X, in the manner stated hereunder.

**Provided** that the Court, in the exercise of such power, shall not refer any dispute to a arbitration or to judicial settlement by a person or institution without the written consent of all the parties to the suit.

**Explanation :** For the purpose of this rule the words "terms of settlement" and the words "terms of possible settlement" mean a summary of the dispute or summary of the remaining dispute, respectively.

Persons authorized to take decision for the union of India, State Governments and others

4. (i) For the purpose of Rule 3, the Union of India or the Government of a State or Union Territory, all local authorities, all Public Sector Undertakings, all statutory corporations and all public authorities shall nominate a person or persons or group of persons who are authorized to take a final decision as to the mode of Alternative Dispute Resolution in which it proposes to opt in the event of direction by the Court under Section 89 and such nomination shall be communicated to the High Court within the period of three months from the date of commencement of these Rules and the High Court shall notify all the subordinate courts in this behalf as soon as such nomination as received from such Government or authorities.

(ii) Where such person or person or group of persons have not been nominated as aforesaid, such party as referred to in clause (i) shall, if it is a plaintiff, file along with the plaint or if it is a defendant file, along with or before the filing of the written statement, a memo into the Court, nominating a person or persons or group of persons who is or are authorized to take a final decision as to the mode of alternative dispute resolution, which the party prefers to adopt in the event of the Court directing the party to opt for one or other mode of Alternative Dispute Resolution.

Court to give guidance to parties while giving direction to opt

5. (a) Before directing the parties to exercise option under sub rule (b) of Rule 3, the Court shall give such guidance as it deems fit to the parties, by drawing their attention to the relevant factors which parties will have to take into account, before they exercise their option as to the particular mode of settlement, namely :

(i) that it will be to the advantage of the parties, so far as time and expense are concerned, to opt for one or other of these modes of settlement referred to in section 89 rather than seek a trial on the disputes arising in the suit;

(ii) that, where there is no relationship between the parties which requires to be preserved, it may be in the interest of the parties to seek reference of the matter of arbitration as envisaged in clause (a) of sub-section (1) of section 89.

(iii) that, where there is a relationship between the parties which requires to be preserved, it may be in the interest of parties to seek reference of the matter to conciliation or mediation, as envisaged in clauses (b) or (d) of sub-section (1) of section 89.

**Explanation :** Disputes arising in matrimonial maintenance and child custody matters shall, among others, be treated as cases where a relationship between the parties has to be preserved.

(iv) that, where parties are interested in a final settlement which may lead to a compromise, it will be in the interests of the parties to seek reference of the matter to Lok Adalat or to judicial settlement as envisaged in clause (c) of sub-section (1) of section 89.

Procedure for  
reference by the  
Court to the  
different modes of  
settlement

6. (a) Where all parties to the suit except proforma parties that is to say the parties by or against whom no relief has been sought, decide to exercise their option and to agree for settlement by arbitration, they shall apply to the Court, within thirty days of the direction of the Court under sub rule (b) of Rule 3 and the Court shall, within thirty days of the said application, refer the matter to arbitration and hereafter the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) which are applicable after the stage of making of the reference to arbitration under that Act, shall apply as if the proceedings were referred for settlement by way of arbitration under the provisions of that Act;

(b) Where it is considered desirable to exercise the option for settlement by the Lok Adalat, the procedure envisaged under the Legal Services Authority Act, 1987 and in particular by section 20 of that Act, shall apply.

(c) Where all the parties to the suit decide to exercise their option and to agree for judicial settlement, they shall apply to the Court within thirty days of the direction under sub rule (b) of Rule 3 and then the Court shall, within thirty days of the application, refer the matter to a suitable institution or person and such institution or person shall be deemed to be a Lok Adalat and thereafter the provisions of the Legal Services Authority act, 1987 (39 of 1987) which are applicable after the stage of making of the reference to Lok Adalat under that Act, shall apply as if the proceedings were referred for settlement under the provisions of that Act;

(d) Where none of the parties are willing to agree to opt or agree to refer the dispute to arbitration, or Lok Adalat, or to judicial settlement, within thirty days of the direction of the Court, under sub rule (b) of Rule 3, they shall consider if they could agree for reference to conciliation or mediation, within the same period.

(e) (i) Where all the parties opt and agree for conciliation, they shall apply to the Court, within thirty days of the direction under sub rule (b) of Rule 3 and the Court shall, within thirty days of the application refer the matter to conciliation and thereafter the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) which are applicable after the stage of making of the reference to conciliation under that Act, shall apply, as if the proceedings were referred for settlement by way of conciliation under the provisions of that Act;

(e) (ii) Where all the parties opt and agree for mediation, they shall apply to the Court, within thirty days of the direction under sub rule (b) of Rule 3 and the Court shall, within thirty days of the application, refer the matter to mediation and then the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2009 shall apply.

(f) Where under clause (d), all the parties are not able to opt and agree for conciliation or mediation, one or more parties may apply to the Court within thirty days of the direction under sub rule (b) of Rule 3, seeking settlement through conciliation or mediation, as the case may be, and in that event, the Court shall, within a further period of thirty days issue notice to the other parties to respond to the application, and

(i) In case all the parties agree for conciliation, the Court shall refer the matter to conciliation and thereafter, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 which are applicable after the stage of making of the reference to conciliation under that Act, shall apply.



(ii) in case all the parties agree for mediation, the Court shall refer the matter to mediation in accordance with the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2009 shall apply.

(iii) In case all the parties do not agree and where it appears to the Court that there exist elements of a settlement, which may be acceptable to the parties and that there is a relationship between the parties, which has to be preserved, the Court shall refer the matter to conciliation or mediation, as the case may be. In case the dispute is referred to Conciliation, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 which are applicable after the stage of making of the reference to conciliation under that Act shall and in case the dispute is referred to mediation, the provisions of the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2009 shall apply.

(g) (i) Where none of the parties apply for reference either to arbitration, or Lok Adalat, or judicial settlement, or for conciliation or mediation, within thirty days of the direction under sub rule (b) of Rule 3, the Court shall, within a further period of thirty days, issue notices to the parties or their representatives fixing the matter for hearing on the question of making a reference either to conciliation or mediation.

(g) (ii) After hearing the parties or their representatives on the day so fixed the Court shall, if there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties and there is a relationship between the parties which has to be preserved, refer the matter to conciliation or mediation. In case the dispute is referred to Conciliation, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 which are applicable after the stage of making of the reference to Conciliation under that Act shall and in case the dispute is referred to mediation, the provisions of the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2009, shall apply.

(h) (i) No next friend or guardian for the suit shall, without the leave of the Court, expressly recorded in the proceedings of the Court, opt for any one of the modes of alternative dispute resolution nor shall enter into any settlement on behalf of a minor or person under disability with reference to the suit in which he acts as mere friend or guardian.

(h) (ii) Where an application is made to the Court for leave to enter into a settlement initiated into in the alternative dispute resolution proceedings on behalf of a minor or other person under disability and such minor or other person under disability is represented by Counsel or pleader, the counsel or pleader shall file a certificate along with the said application to the effect that the settlement is, in his opinion, for the benefit of the minor or other person under disability. The decree of the Court based on the settlement to which the minor or other person under disability is a party, shall refer to the sanction of the Court thereto and shall set out the terms of the settlement.

7. (1) Where a suit has been referred for settlement for conciliation, mediation or judicial settlement and has not been settled or where it is felt that it would not be proper in the interests of justice to proceed further with the matter, the suit shall be referred back again to the Court with a direction to the parties to appear before the Court on a specific date.

(2) Upon the reference of the matter back to the Court under sub-rule (1) or under sub-section (5) of section 20 of the Legal Services Authority Act, 1987, the Court shall proceed with the suit in accordance with law.

8. (a) The High Court shall take steps to have training courses conducted in places where the High Court and the District Courts or Courts of equal status are located, by requesting bodies recognized by the High Court or the Universities imparting legal education or retired Faculty Members or other persons who, according to the High Court are well versed in the techniques of alternative methods of resolution of dispute, to conduct training courses for lawyers and judicial officers.

Referral to the Court and appearance before the Court upon failure of attempts to settle disputes by conciliation or judicial settlement or mediation

Training in alternative methods of resolution of disputes and preparation of manual

(b) (i) The High Court shall nominate a committee of judges, faculty members including retired persons belonging to the above categories, senior members of the Bar, other members of the Bar specially qualified in the techniques of alternative dispute resolution, for the purpose referred to in clause (a) and for the purpose of preparing a detailed manual of procedure for alternative dispute resolution to be used by the Courts in the State as well as by the arbitrators, of authority or person in the case of judicial settlement or conciliators or mediators.

(b) (ii) The said manual shall describe the various methods of alternative dispute resolution, the manner in which any one of the said methods is to be opted for, the suitability of any particular method for any particular type of dispute and shall specifically deal with the role of the above persons in disputes which are commercial or domestic in nature or which relate to matrimonial, maintenance and child custody matters.

(c) The High Court and the District Courts shall periodically conduct seminars and workshops on the subject of alternative dispute resolution procedures throughout the State or States over which the High Court has jurisdiction with a view to bring awareness of such procedures and to impart training to judicial officers and lawyers.

(d) Persons who have experience in the matter of alternative dispute resolution procedures, and in particular in regard to conciliation and mediation, shall be given preference in the matter of empanelment for purposes of conciliation of mediation.

9. The provisions of these Rules may be applied to proceedings before the Courts, including Family Courts constituted under the Family Courts Act (66 of 1984), while dealing with matrimonial, maintenance and child custody disputes, wherever necessary, in addition to the rules framed under the Family Courts Act, (66 of 1984).

Applicability to  
other proceedings

By order of the Court  
DINESH GUPTA,  
Registrar General,

By order,  
S.M.A. ABIDI  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 457 राजपत्र-(हिन्दी)-2009-(965)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० न्याय-2009-(966)-150 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।